फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री विनोद सुहालका** विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 131, एल.आर.एक्ट पत्रावली संख्या :– **192/25 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/598**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 08.01.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व ग्राम धुणीमाता की आराजी संख्या 2476/1 (नवीन आराजी संख्या 4686/2476) रकबा 2 बीघा 9 अर्थात 0.3966 हैक्टेयर भूमि श्री विनोद पुत्र चितरंजनलाल हिस्सा पूर्ण जाति कलाल (सुवलका) नि.64 ए सर्वऋतु विलास उदयपुर के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है एवं आराजी संख्या 2476 मी. (नवीन आराजी संख्या 2476) रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 0.5666 हैक्टेयर भूमि श्री कैलाश पुत्र पृथ्वीराज हिस्सा 1/4 जाति डांगी निवासी धुणीमाता, श्री डालचन्द पुत्र पृथ्वीराज हिस्सा 1/4 जाति डांगी सा. धुणीमाता, श्री विनोद पुत्र चितरंजनलाल हिस्सा 1/2 जाति कलाल (सुवलका) नि.64 ए सर्वऋतु विलास उदयपुर के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम नाहरमगरा (वर्तमान ग्राम धूणीमाता) के सहमति विभाजन से दर्ज नामान्तरकरण संख्या 4168 पर चस्पा नक्शा व वर्तमान में उपलब्ध नक्शा शीट में आराजी संख्या 2476, 4686/2476 की तरमीम में भिन्नता है जिसका वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड बटर शीट नक्शा तथा नामान्तरकरण संख्या 4168 पर चस्पा नक्शा अनुसार प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक वृत नान्दवेल एवं पटवारी हल्का नाहरमगरा मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस जमाबन्दी नकल, बंटवाड़े की प्रति संलग्न की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील घासा के मूल आराजी नम्बर 2476 का सहमति विभाजन किया गया था। जिसके विभाजन के पश्चात दो हाल आराजी नम्बर 2476 एवं 4686/2476 कायम किए गए। सहमति विभाजन के अनुसार ही लट्ठा नक्शा में तरमीम की गई। परन्तु वर्तमान नक्शा तैयार करते समय उक्त दोनो आराजीयात की तरमीम सहमति विभाजन/लट्ठा नक्शा अनुसार नही कर राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने मनमुताबिक कर दी गई। जिससे नक्शे में उक्त दोनो आराजीयात का रकबा कम – ज्यादा हो गया। जबकि जमाबंदी में दोनो आराजीयात का रकबा सहमति विभाजन के अनुसार है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ऑनलाईन/हाल नक्शा तैयार करते समय साबिक नक्शे अनुसार ही तैयार किया जाना था। अर्थात अपने मनमुताबिक तरमीम करने का राजस्व कर्मचारियो को कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकरण में स्वयं तहसीलदार घासा द्वारा स्वीकार किया गया है कि सहमति विभाजन से दर्ज नामान्तरकरण संख्या 4168 पर चस्पा उपलब्ध नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान में उपलब्ध नक्शा शीट में दोनो आराजीयात की तरमीम में भिन्नता है। न्यायालय का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2026.01.21 13:55:56 IST
Reason: SelfAttested

यह भी मानना है कि सहमति विभाजन में जिस आराजी का जितना रकबा बंटवाड़ा फेहरिश्त में अंकित किया जाता है उसी अनुसार नक्शे में तरमीम करनी चाहिए। परन्तु इस प्रकरण में तरमीम गलत कर देने से आराजीयात का रकबा कम ज्यादा अंकित हो गया जो कि न्यायोचित नही है। तहसीलदार घासा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4168 पर चस्पा नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया है। अतः प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाकर नक्शे में तरमीम शुद्धि किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम धूणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील घासा के आराजी नम्बर 4686/2476, 2476 की तरमीम नामान्तरकरण संख्या 4168 पर चस्पा नक्शा ट्रेस/ प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:56 IST
Reason: SelfAttested